निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– ई–33/रेडियो/नियुक्ति/ग्रा0 सहा0रेडियो0/एम–48/09/ दिनांकः–

आदेश

राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 2008 के अन्तर्गत ग्रामीण सहायक रेडियोग्राफर के पद हेतु निदेशालय के कमांक – स्था /सीधीभर्ती/ ग्रा0स0 रे0ग्राफर /08/134 दिनांक 1.7.08 के द्वारा प्रकाशति विज्ञप्ति के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के आधार पर निदेशालय के कमांक ई–33/रेडियो/एम–48/2008/961 दिनांक 3.10.08 के द्वारा चयनित किया गया है, को कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की समायावधि के लिए प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर मासिक नियत पारिश्रमिक **(Fixed Remuneration)** रूपये 7900/– पर नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशनल ट्रेनी) सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा कार्य एंव व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर ही पद की वेतन श्रृंखला 5200–20200 का न्युनतम एंव अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें। चयनित अभ्यार्थियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

उक्त नियुक्तियां रिट याचिका संख्या 10826/08 श्री कुलदीप शुक्ला बनाम राज्य सरकार में अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

क0 स0	अभ्यर्थी का नाम मय पिता, पति एंव पूर्ण पता	जन्म तिथि	वर्ग	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री बंशी लाल मीणा / श्री हाजा राम मीणा, द्वारा– श्री लाल शंकरी जी मीणा, लक्ष्मी पेट्रोल पम्प के पीछे, गोविन्द नगर, बन्जारियां, पो0 एंव तह0 खेरवाडा, जिला उदयपुर।	05.07.1980	एस0टी0 टी0एस0पी0	सी0एस0सी0, खैरवाडा, उदयपुर।
2	श्री उम्मेद सिंह /श्री रामकुमार सिंह (भूतपूर्व सैनिक) द्वारा– सी–15, बंसत विहार, झुंझूनू।	01.12.1960	सामान्य	सी0एस0सी0, गुढा गोडजी, झुंझूनू।
3	श्री प्रभात देव अवस्थी/श्री मंगलदेव अवस्थी (भूतपूर्व सैनिक) द्वारा– 2/1047, कुडी भगतासनी, हा0बो0 जोधपुर।	05.09.1963	सामान्य	सी0एस0सी0, लूणी, जोधपुर।

उपरोक्त उल्लेखित अभ्यार्थी अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकरी को दिनांक 9.3.09 तक आवश्यक रूप से देवें। उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक एंव तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र) दिनांक 22.5.06 से पूर्व यदि विवाह हुआ हो तो शपथ एंव दिनांक 22.5.06 के पश्चात हुए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दो चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग–अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र किये गये हो, प्रस्तुत करने होगें। इस तिथि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें। आपराधिक दोष सिद्धी न होने का प्रमाण पत्र

(पुलिस वैरीफिकेशन) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया हो, प्राप्त होने पर ही अभ्यार्थी को कार्यग्रहण कराया जावेगा। आचरण संदिग्ध अथवा दोष सिद्धि के कारण सजा होने की स्थिति में कार्यग्रहण न कराकर प्रकरण पूर्णरूप से तैयार कर मय दस्तावेजात के साथ अग्रिम आदेशार्थ संबंधित अधिकारी द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किये जायेगें।

चयनित अभ्यार्थी कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगा कि यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगाा तथा व आपराधिक दण्डित कार्यवाही का भागी होगा। किसी भी अभ्यार्थी का कोई भी पात्रता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र बाद सत्यापन असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

दिनांक 1.6.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नही होने का शपथपत्र 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाप्प पेपर पर जो नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया हो उपस्थिति रिपोर्ट के साथ उपरोक्त उल्लेखित शर्तो को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके अभाव में अभ्यार्थी नियुक्ति का पात्र नही माना जावेगा।

Sd/-
अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– ई–33/रेडियो/नियुक्ति/ग्रा0 सहा0रेडियो0/एम–48/09/101   दिनांकः– 9-2-04

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उपशासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, (ग्रुप–3) राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक एड्स, मुख्यालय।
5. वित्तिय सलाहाकार मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, योजना मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये, जोन– जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर/झुंझूनू/जोधपुर को भेजकर लेख है कि जिन अभ्यार्थीयों का आपके अधीन ग्रामीण सहायक रेडियोग्राफर के पद पर पदस्थापन रिक्त पद पर किया गया है के मूल आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जा रहे है। आप आवेदन के साथ संलग्नक दस्तावेजों को मूल शैक्षणिक, तकनीकी एंव अन्य समस्त प्रमाण पत्रों से मिलान कर सही पाये जाने एंव पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत कर्तव्य पर लेवे । यदि किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता संदिग्ध पायी जावे तो उन मामलों में स्पष्ट रिपोर्ट के साथ प्रकरण इस निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिंशषा सहित अग्रेषित करें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि कार्यग्रहण उपरान्त भी शैक्षणिक एंव तकनीकी प्रशिक्षण संबंधि दस्तावेजों का सत्यापन 30 दिवस की अवधि में संबंधित राज्य के बोर्ड/ संस्थान में वाहक भेजकर आवश्यक रूप से करवाया जावे। अभ्यार्थी को मूल दस्तावेज इसके पश्चात ही लौटाये जावे एंव सत्यापन की रिपोर्ट भी अविलम्ब निदेशालय को भेजे। इस प्रकिया में हुई किसी भी अनियमितता के लिए आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।
9. श्री ....को उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर पालनार्थ ।
10. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर